राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./पेंशन रिविजन/2017/12647 दिनांक : 23.08.2018

कार्यालय आदेश

विषय : निगम के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के संशोधित पेंशन नियम 2017 दिनांक 01.01.2016 से निगम में लागू करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान सरकार ने दिनांक 01.01.2016 से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन एवं 01.01.2016 से पूर्व हुए सेवानिवृत कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने बाबत Notification No. F.12(6)FD(Rules)/2017 dt.30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.10.2017, मेमोरेण्डम दिनांक 30.10.2017, आदेश दिनांक 30.10.2017 एवं इसी क्रम में नोटिफिकेशन/मेमोरेण्डम इत्यादि दिनांक 05.12.2017 एवं 09.12.2017 को जारी किये जाकर Memorandum No. F.12(6)FD(Rules)/2017 dt.06.06.2018 द्वारा वर्ष 1981 से लेकर दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सभी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नोशनल वेतन निर्धारण कर संशोधित किये जाने के आदेश जारी हुए हैं।

राजकीय उपक्रम ब्यूरो राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक F.2(8)BPE/98/1646 दिनांक 08.03.2018 द्वारा निर्देश जारी कर पेंशन पुनरीक्षण किये जाने की गाइडलाईन्स जारी की गई है तद् अनुसार निगम के संचालक मण्डल की बैठक संख्या 240 दिनांक 03.07.2018 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निगम के पेंशनधारी सेवानिवृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पेंशन पुनरीक्षण के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के संशोधित पेंशन नियम 2017 निगम में लागू किये जाने के एतद् द्वारा आदेश जारी किये जाते है।

उपरोक्त नोटिफिकेशन्स/मेमोरेण्डम्स/आदेशों के अनुरूप ही दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का ऐरियर नोशनल रखा जायेगा, जिसका किसी पेंशनर को भुगतान नहीं किया जायेगा एवं दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 की अवधि के ऐरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 3 किश्तों में क्रमशः 30, 30, 40 प्रतिशत के अनुपात में 01.04.2018,

01.07.2018 व 01.10.2018 को किया जायेगा तथा दिनांक 01.10.2017 से संशोधित पेंशन का भुगतान नकद में किया जायेगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नोशनल वेतन निर्धारण कर एवं तदानुसार किये गये संशोधित पेंशन निर्धारण प्रपत्रों की जांच सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) एवं लेखाधिकारी (प्रशासन) द्वारा किये जाने के पश्चात् संशोधित पेंशन के आदेश जारी किये जाने के लिए संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

संलग्न :– उक्तानुसार पेंशन के पुनर्निर्धारण
हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

(नीलकमल दरबारी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रभारी, समस्त राज्य भण्डार गृह।
6. माहमंत्री राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (आर.एस.डब्ल्यू.सी) पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी, सी–394, हंसमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर– 302017।
7. मास्टर फाइल (प्रशासन)।
8. नोटिस बोर्ड, प्रधान कार्यालय, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स की पेंशन संशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
राजस्थान

विषय : वित्त (नियम) विभाग के आदेश कमांक F.12(6)FD(Rules)/2017 Pt-I दिनांक 06.06.2018 के क्रम में निगम द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या........................ दिनांक .... के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नोशनल वेतन निर्धारण करने व पेंशन भुगतान आदेश संशोधित कर पेंशन का पुनर्निधारण करने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निगम के आदेश कमांक........................ दिनांक .... द्वारा जारी मेरे पी.पी.ओ/एफ.पी.पी.ओ में उल्लेखित पेंशन/फैमिली पेंशन को संशोधित करने का श्रम करावें। इस हेतु मेरे पी.पी.ओ/एफ.पी.पी.ओ की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :--

1. पी.पी.ओ/एफ.पी.पी.ओ भुगतान आदेश संख्या .... दिनांक ....
2. अ. पेंशनर/फैमिली पेंशनर का पूरा नाम ....
   (पी.पी.ओ/एफ.पी.पीओ के अनुसार) (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
   ब. पत्राचार का पूर्ण पता ....
   ....
   ....
   स. फोन/मोबाइल नंबर ....
3. स्वीकृत पेंशन का प्रकार ....
4. फैमिली पेंशनर के कम में मृतक राजकीय कर्मचारी का नाम ....
5. राजकीय कर्मचारी की सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि ....
6. कार्यालय का नाम जहाँ से कार्मिक की सेवानिवृति/मृत्यु हुई ....
7. अ. सेवानिवृति/मृत्यु के समय धारित पदनाम ....
   ब. सेवानिवृति/मृत्यु के समय प्राप्त

वेतनमान/चयनित वेतनमान/एसीपी जैसी स्थिति हो ....

8. दिनांक जिससे पेंशन/फैमिली पेंशन प्राप्त की जा रही है। ....

9. सेवानिवृति/मृत्यु के समय प्राप्त वेतन का विवरण:–

अ. मूल वेतन ....

ब. स्पेशल वेतन, यदि कोई हो ....

स. व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो ....

10. पेंशनर की पत्नी/पति का नाम

(हिन्दी) ....

(अंग्रेजी) ....

11. बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन/फैमिली पेंशन जमा की जा रही है:–

अ. बचत बैंक खाता संख्या ....

ब. बैंक एवं ब्रांच का नाम ....

स. आई.एफ.एस.सी कोड ....

संलग्न : पी.पी.ओ/एफ.पी.पी.ओ की छायाप्रति

स्थान : पेंशनर/फैमिली पेंशनर के हस्ताक्षर

दिनांक : मय दिनांक